प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्तक सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्कररण अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या -10 के अन्त र्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 की योजना में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से 27-सब्सिडी मद में प्राविधानित धनराशि रू0-5402.00 लाख को अवमुक्त कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-97/बजट/2023-24, दिनांक 05.12.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04-फल-0418- 30प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 की योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में रू0-5402.00 लाख (रूपये चौवन करोड़ दो लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर निम्नालिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है जिसका विवरण निम्नंवत है :-

नियम व शर्ते तिबन्धोंप्र /

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहॉ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।

(2) खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कंरण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता माना जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क़रण विभाग तथा वित्ता नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर दायी होंगे।

(7) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक/वित्तर नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क रण विभाग का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 54,02,00,000 (रुपये चौवन करोड़ दो लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 010 लेखा शीर्षक 2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 मानक मद 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च,2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-01/2024/1071(1)/58-2-2023-1769214 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in